भारत सरकार

आयुष मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 5580

04 अप्रैल, 2025 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

औषधीय पौधों की खेती को प्रोत्साहन

5580. श्री संजय हरिभाऊ जाधव:

क्या आयुष मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में औषधीय पौधों की खेती को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(ख) क्या सरकार ने इस संबंध में कोई पहल या अभियान शुरू किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसका उद्देश्य क्या है;

(ग) क्या औषधीय पौधों की खेती में लगे किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) देश में औषधीय पौधों/जड़ी-बूटियों/दुर्लभ पौधों की खेती को बढ़ावा देने के लिए बनाई गई/बनाई जाने वाली योजना का ब्यौरा क्या है; और

(च) क्या सरकार ने औषधीय पौधों और जड़ी-बूटियों की दुर्लभ प्रजातियों की खोज के लिए कोई सर्वेक्षण कराया है और यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है?

उत्तर

आयुष मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री प्रतापराव जाधव)

(क): वर्तमान में, राष्ट्रीय औषधीय पादप बोर्ड (एनएमपीबी), आयुष मंत्रालय, भारत सरकार औषधीय पादपों की खेती को बढ़ावा देने के लिए पूरे देश में "औषधीय पादपों के संरक्षण, विकास और सतत प्रबंधन" पर केंद्रीय क्षेत्रीय योजना को कार्यान्वित कर रहा है, जिसमें निम्नलिखित गतिविधियों को सहयोग प्रदान किया जाता है:-

i. सूचना शिक्षा एवं संचार (आईईसी) गतिविधियाँ जैसे प्रशिक्षण/कार्यशालाएँ/सेमिनार/सम्मेलन आदि।
ii. औषधीय पादपों की आपूर्ति श्रृंखला में अग्रवर्ती और पश्चवर्ती लिंकेज (एकीकृत घटक)।
iii. स्व-स्थाने संरक्षण/बाह्य-स्थाने संरक्षण।
iv. संयुक्त वन प्रबंधन समितियों (जेएफएमसी)/पंचायतों/वन पंचायतों/जैव विविधता प्रबंधन समितियों (बीएमसी)/स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) के साथ आजीविका संबंध।
v. अनुसंधान और विकास।
vi. औषधीय पादपों के उत्पादन का प्रचार, विपणन और व्यापार।

(ख): जी नहीं। हालाँकि, राष्ट्रीय औषधीय पादप बोर्ड (एनएमपीबी), आयुष मंत्रालय ने हाल ही में बेहतर स्वास्थ्य के लिए-शतावरी पर प्रजाति-विशिष्ट अभियान शुरू किया है। इसका मुख्य उद्देश्य लोगों

में शतावरी के स्वास्थ्य लाभों के बारे में जागरूकता पैदा करना और पूरे देश में इस क्षमतावान औषधीय पौधे के उपयोग को बढ़ावा देना है।

(ग) और (घ): जी नहीं। वर्तमान में, आयुष मंत्रालय के राष्ट्रीय औषधीय पादप बोर्ड (एनएमपीबी) में औषधीय पादपों की खेती के लिए कोई योजना नहीं है। हालाँकि, विगत में, आयुष मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा वर्ष 2015-16 से 2020-21 तक औषधीय पादपों की खेती को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय आयुष मिशन (एनएएम) की केंद्रीय प्रायोजित योजना के औषधीय पादपों के घटक का कार्यान्वयन किया गया था। राष्ट्रीय आयुष मिशन (एनएएम) योजना के औषधीय पादप घटक के तहत, राज्य कार्यान्वयन एजेंसियों के माध्यम से किसानों को प्राथमिकता वाली 140 औषधीय पादप प्रजातियों की खेती के लिए कृषि लागत पर 30%, 50% और 75% की दर से सब्सिडी प्रदान की गई थी। आयुष मंत्रालय ने पूरे देश में वित्तीय वर्ष 2015-16 से 2020-21 तक राष्ट्रीय आयुष मिशन (एनएएम) योजना के तहत, औषधीय पादपों की खेती के लिए 13657.67 लाख रुपये की धनराशि स्वीकृत की थी। विवरण **संलग्नक-I** पर दिया गया है।

(ङ): कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय से प्राप्त सूचना के अनुसार, एकीकृत बागवानी विकास मिशन (एमआईडीएच)- केन्द्रीय प्रायोजित योजना के अंतर्गत, अल्प आवधिक औषधीय पादपों के क्षेत्र विस्तार के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने का प्रावधान किया गया है। सहायता के पैटर्न के साथ लागत मानदंडों का विवरण **संलग्नक-II** पर दिया गया है।

(च): भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण (बीएसआई) से प्राप्त सूचना के अनुसार, देश के विभिन्न फाइटोग्राफिकल क्षेत्रों में वन्य पादपों के संसाधनों के सर्वेक्षण और अन्वेषण के माध्यम से, बीएसआई ने औषधीय और सगंध पादप प्रजातियों की पहचान की और ओडिशा, गुजरात, बिहार के जनजातीय क्षेत्रों, उत्तराखंड के थारू और भोकसा जनजाति, पश्चिम बंगाल की लोध जनजातियों में पारंपरिक/औषधीय ज्ञान पर लगभग 2034 एथनोबॉटनिकल सूचना का दस्तावेजीकरण किया।

*****

संलग्नक-I

वित्तीय वर्ष 2015-16 से 2020-21 तक राष्ट्रीय आयुष मिशन (एनएएम) योजना के अंतर्गत, औषधीय पादपों की खेती के लिए स्वीकृत निधि का विवरण।

(लाख रुपये में)

क्र.सं.	**नाम**	**2015-16**	**2016-17**	**2017-18**	**2018-19**	**2019-20**	**2020-21**	**कुल**
1	आंध्र प्रदेश	121.28	205.26	128.38	69.28	220.41	0	**744.61**
2	अरुणाचल प्रदेश	0	42.78	38.43	9.36	26.26	59.5	**176.33**
3	असम	0	85.86	55.35	28.12	0	0	**169.33**
4	बिहार	0	0	0	0	74.49	0	**74.49**
5	छत्तीसगढ़	0	47.63	27.96	28.11	0	0	**103.7**
6	गोवा	0	8.22	9.44	9.44	9.74	0	**36.84**
7	गुजरात	25.92	72.19	71.45	178.67	0	0	**348.23**
8	हरियाणा	49.81	56.99	0	0	0	0	**106.8**
9	हिमाचल प्रदेश	35.73	100.06	8.04	0	54.44	0	**198.27**
10	जम्मू-कश्मीर	7.39	30.67	19.22	21.5	18.29	21.54	**118.61**
11	कर्नाटक	102.2	195.63	154.21	86.49	114.67	359.88	**1013.08**
12	केरल	69.64	130.43	171.39	115.27	0	101.11	**587.84**
13	मध्य प्रदेश	286.91	490.88	317.28	249.36	287.87	853.74	**2486.04**
14	महाराष्ट्र	194.61	0	265.51	0	285.36	0	**745.48**
15	मणिपुर	48.3	70.88	30.25	17.58	15.83	0	**182.84**
16	मेघालय	0	12.77	7.05	0	31.53	0	**51.35**
17	मिजोरम	8.13	6.82	41.26	39.64	0.95	10.3	**107.1**
18	नागालैंड	20.36	39.38	65.89	38.04	0	75.48	**239.15**
19	ओडिशा	0	107.55	0	85.06	0	0	**192.61**
20	पुडुचेरी	0	4.96	0	0.39	0.78	0	**6.13**
21	पंजाब	0	78.61	0	9.47	66.15	0	**154.23**
22	राजस्थान	38.53	194.81	473.6	203.24	327.85	0	**1238.03**
23	सिक्किम	22.32	23.25	24.98	0	0	40.99	**111.54**
24	तमिलनाडु	144.22	252.71	222.92	173.09	260.99	0	**1053.93**
25	तेलंगाना	81.32	38.75	75.04	36.87	65.75	0	**297.73**
26	त्रिपुरा	6.06	0	0	42.9	0	0	**48.96**
27	उत्तराखंड	54.22	129.82	105.99	55.67	133.6	0	**479.3**
28	उत्तर प्रदेश	548.76	336.92	241.2	564.05	0	503.01	**2193.94**
29	पश्चिमी बंगाल	18.13	44.94	104.98	62.2	160.93	0	**391.18**
कुल		**1883.84**	**2808.77**	**2659.82**	**2123.8**	**2155.89**	**2025.55**	**13657.67**

संलग्नक-II

एकीकृत बागवानी विकास मिशन (एमआईडीएच) योजना के लिए मिशन के अंतर्गत सहायता के पैटर्न के साथ-साथ लागत मानदंडों का विवरण निम्नलिखित है:

क्र.सं.	**घटक का नाम**	**लागत मानदंड**	**सहायता का पैटर्न**
1.	औषधीय पादप (मुलेठी, शतावरी, कलिहारी, श्वेत मुसली, गुग्गल, मंजिष्ठा, कुटकी, अतीस, जटामांसी, अश्वगंधा, ब्राह्मी, तुलसी, विदारीकंद, पिप्पली, चिरायता, पुष्करमूल आदि)	1,50,000 रुपये /हेक्टेयर	एकीकृत पोषक तत्व प्रबंधन (आईएनएम)/एकीकृत कीट प्रबंधन (आईपीएम) आदि के लिए रोपण सामग्री और सामग्री की लागत पर व्यय को पूरा करने के लिए सामान्य क्षेत्रों में 2 हेक्टेयर तक के क्षेत्र के लिए आनुपातिक आधार पर 40% की दर से 60:40 की 2 किस्तों में सहायता प्रदान की जाएगी। पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्यों, अनुसूचित क्षेत्रों, जीवंत गांवों, अंदमान एवं निकोबार और लक्षद्वीप के मामले में, आनुपातिक आधार पर 2 हेक्टेयर तक के क्षेत्र के लिए 50% की दर से सहायता प्रदान की जाएगी।